



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042021-226389
CG-DL-E-06042021-226389

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1344]
No. 1344]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 6, 2021/चैत्र 16, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6, 2021/CHAITRA 16, 1943

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

मुम्बई, 6 अप्रैल, 2021

का.आ. 1455(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के राजकोट जिले में सुरेंद्रनगर-राजकोट ब्रोड गेज इकहरी लाईन का दोहरीकरण परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, प्रांत अधिकारी, राजकोट ग्राम्य, जिला राजकोट को लिखित रूप में किया जाएगा जोकि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य व्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में सुरेंद्रनगर-राजकोट ब्रोड गेज इकहरी लाईन खंड के दोहरीकरण नामक विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

जिले का नाम: राजकोट

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (स्क्वेअर मिटर)
1	राजकोट	हडमतिया (बेडी)	158/1	1014
2	राजकोट	हडमतिया (बेडी)	158/2	570
3	राजकोट	हडमतिया (बेडी)	177	788
4	राजकोट	हडमतिया (बेडी)	156	1696
5	राजकोट	राजगढ़	4	1214
6	राजकोट	राजगढ़	5	1028
7	राजकोट	राजगढ़	6	5137
8	राजकोट	राजगढ़	9 P 5	1443
9	राजकोट	राजगढ़	10	568
10	राजकोट	राजगढ़	17	483
11	राजकोट	खोराना	345 P1 P1	251
12	राजकोट	खोराना	345 P3	738
13	राजकोट	खोराना	345 P4	481
			कुल क्षेत्रफल	15411

[फा .सं.डब्लु एन सी 335/1/2/राजकोट-गुजरात]

अवनीश वर्मा, मुख्य इंजीनियर (निर्माण) VI

MINISTRY OF RAILWAYS

(Western Railway)

(CONSTRUCTION ORGANISATION)

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th April, 2021

S.O. 1455(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Surendranagar - Rajkot doubling of Broad Gauge single line in District Rajkot in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer Rajkot Gramya, District Rajkot, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an

opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:
Surendranagar - Rajkot doubling of Broad Gauge single line in the state of Gujarat.**

Name of District: Rajkot

Sr.no	Name of Taluka	Village Name	Survey no.	Area of Land to be Acquire (in Sqm.)
1	RAJKOT	HADMATIYA (BEDI)	158/1	1014
2	RAJKOT	HADMATIYA (BEDI)	158/2	570
3	RAJKOT	HADMATIYA (BEDI)	177	788
4	RAJKOT	HADMATIYA (BEDI)	156	1696
5	RAJKOT	RAJGADGH	4	1214
6	RAJKOT	RAJGADGH	5	1028
7	RAJKOT	RAJGADGH	6	5137
8	RAJKOT	RAJGADGH	9 P 5	1443
9	RAJKOT	RAJGADGH	10	568
10	RAJKOT	RAJGADGH	17	483
11	RAJKOT	KHORANA	345 P1 P1	251
12	RAJKOT	KHORANA	345 P3	738
13	RAJKOT	KHORANA	345 P4	481
			TOTAL AREA IN (SQ.M)	15411

[F.No.WNC 335/1/2/Rajkot-Gujarat.]

AVNEESH VERMA, Chief Engineer (Const.) VI